राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(26)ग्रावि / नरेगा / स.टास्क / 2011-12 जयपुर, दिनांक : 23 JUN 2016

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः– महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों के समय के संबन्ध में।
प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 22.04.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 19 के अनुसार राज्य में गर्मी के मौसम को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय के कम में निर्देश दिये गये थे कि, ''योजनान्तर्गत कार्यों का समय जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अपने स्तर पर निर्धारित कर सकेंगें। कार्य समय इस प्रकार निर्धारित किया जावें कि कार्य अवधि 8 घण्टे मय 1 घण्टे के विश्राम काल के हो। विश्राम काल का प्रावधान नही रखने की स्थिति में 7 घण्टे की कार्य अवधि निर्धारित की जा सकती है। इसमें इस बात का भी प्रावधान किया जावें कि यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरान्त एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के उपरान्त कार्य स्थल छोड सकता है।''

कार्यस्थल पर स्वच्छ पेयजल, बालकों के लिए तथा विश्राम की अवधि के लिए शेड, लघु क्षति में आपात उपचार के लिए पर्याप्त सामग्री सहित प्राथमिक सहायता पेटी तथा किये जा रहे कार्य से संबन्द्व अन्य स्वास्थ्य परिसंकट के लिए सुविधाए प्रदान की जायेगी।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की अनुसूची 2 की धारा–5 की उप धारा 24 से 26 तक के क्रम में यदि स्कीम के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति को उसके नियोजन के कारण और उसके क्रम में किसी दुर्घटना से कोई शारीरिक क्षति कारित होती है तो वह निःशुल्क ऐसे चिकित्सीय उपचार जो स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है का हकदार होगा तथा यदि स्कीम के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति की, नियोजन से उद्भूत दुर्घटना या उसके क्रम में मृत्यु हो जाती है या वह स्थायी रूप से निःशक्त हो जाता है तो कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा नियमानुसार अनुग्रह राशि संदाय की जावेगी।

कृपया उक्तानुरार अधिनियम में वर्णित प्रावधानों पर नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

23/6/16
(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव।
4. प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
5. सचिव, मुख्यमंत्री जी।
6. सचिव, ग्रामीण विकास।
7. आयुक्त, ईजीएस।
8. संभागीय आयुक्त, समस्त।
9. समस्त जिला प्रभारी / मुख्यालय पर पदस्थापित अधिकारीगण।
10. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य / अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
11. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जयपुर / बाड़मेर।
12. रक्षित पत्रावली।

23/6
परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस